

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215800
CG-DL-E-30012020-215800

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]
No. 408]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

का.आ. 442(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मसाला बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय संख्यांक का.आ.123(अ) की अधिसूचना तारीख 26 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4 श्री जी. वी. एल. नरसिम्हा राव,
संसद सदस्य,
राज्य सभा।

राज्य सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य”।

[फा. सं. 5/1/2017-बागान-घ]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 123(अ), तारीख 26 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 27 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, संख्यांक का.आ. 3499(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

S.O. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following person as Member of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

- “4. Shri. G.V.L. Narasimha Rao, Member Elected by Rajya Sabha”.
Member of Parliament,
Rajya Sabha.

[F. No. 5/1/2017-Plant-D]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and was last amended by *vide* number S.O. 3499(E), dated the 26th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th September, 2019.